न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :—156/2023

कुलदीप कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई साकिन 7 एलजीडब्ल्यू–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णलाल उर्फ किशनलाल पुत्र लालूराम जाति बिश्नोई साकिन 7 एलजीडब्ल्यू–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा —— प्रार्थी
2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई —— अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी सं. 2

—:: निर्णय :—

दिनांक:— 23/03/2025

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि जहां तक प्रार्थना पत्र हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान प्रस्तुत है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एलजीडब्ल्यू–बी के खाता सं. 68/54 के प.नं. 31/288 (14) किला नं. 25/2, 25/3, प.नं. 32/288 (15) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की 6.489 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में 1/5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एलजीडब्ल्यू–बी के खाता सं. 917 के प.नं. 29/289 (21) किला नं. 24, 25/1, प.नं. 29/290 (22) किला नं. 3 की कुल 0.721 है. नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3, 4 में वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। दफा 4 में वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रा[illegible] भूमि जब अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज करवाई थी उस समय अप्रार्थी सं.1 [illegible] था। दिनांक 07.06.1978 को प्रार्थी के दादा लालूराम ने अपनी कमाई व मेहनत से दफा [illegible] वर्णित भूमि खरीद कर अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज करवाई थी। इस [illegible] 3, 4 में वर्णित भूमि [illegible] पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हि[illegible] निहित है। अप्रार्थी सं.1 [illegible] वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा जन्म से निहित है। प्रार्थी को प्राप्त होने वाला हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये प्रार्थी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि अप्रार्थी सं.1 जो कि लालची किस्म का व्यक्ति है। अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम वर्णित पैतृक कृषि भूमि को औने पौने दामों में किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है व प्रार्थी का पैतृक कृषि भूमि मे हक व हिस्सा हड़पने की फिराक में है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा व प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुशकिल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं.1 तहसील पीलीबंगा के चक 7 एलजीडब्ल्यू–बी के खाता सं. 68/54 के प.नं. 31/288 (14) किला नं. 25/2, 25/3, प.नं. 32/288 (15) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ज 24, 25/1, 25/2 की 6.489 है. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में अपने नाम दर्ज 1/5 हिस्सा व चक 7 एलजीडब्ल्यू–बी के खाता सं. 917 के प.नं. 29/289 (21) किला नं. 24, 25/1, प.नं. 29/290 (22) किला नं. 3 की कुल 0.721 हैक. नहरी खातेदारी कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता प्रार्थी बहस वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु बहस सुनी गई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलत प्रार्थी के पक्ष में होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री शेलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब अप्रार्थी संख्या 1 प्रस्तुत किया गया है। शामिल पत्रावली है। जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 निम्न प्रकार से है–यह कि यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन कि प्रार्थना पत्र की दफा 3, 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है अस्वीकार है क्योंकि दफा 4 में वर्णित भूमि मिन अप्रार्थी सं.1 द्वारा जरिये बैयनामा खरीदशुदा कृषि भूमि है जो पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में नही आती है क्योंकि उक्त कृषि भूमि स्वंय की खरीदशुदा कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 ने एक कब्जाशुदा प्लाट मण्डी पीलीबंगा में बेचा किया था उससे प्राप्त प्रतिफल से दफा 4 में वर्णित भूमि खरीद की थी। शेष कथन मनगढ़त होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने अपना पैतृक हक व हिस्सा अपनी भुआ व दादी से प्राप्त कर लिया था जो कि अपने हक व हिस्सा से तीन गुणा भूमि ज्यादा प्राप्त की है। इसलिये प्रार्थी अब मिन अप्रार्थी सं.1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन मनगढ़त, असत्य व अविधिक होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी सं.1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि में से किसी भी अन्य व्यक्ति को बेचान नही कर रहा है मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये झूठे व मिथ्या कथन प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अकिंत किये है। प्रार्थी कुलदीप कुमार ने पैतृक सम्पति में से चक 7 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 68/54 के प.नं. 31/288, 32/288 की 6.489 हैक. में से अपने चाचा राधेश्याम से जरिये दान पत्र प्राप्त की है व 5 बीघा भूमि अपनी दादी लिछमा देवी से जरिये दान पत्र प्राप्त की है

सहायक कलक्टर एवं
अधिकारी पीलीबंगा

व 5 बीघा भूमि भुआ सिलोचना देवी से जरिये दान पत्र प्राप्त की है। इस प्रकार कुल 18.10 बीघा भूमि पैतृक कृषि भूमि में से प्राप्त कर चुका है। इसलिये प्रार्थी अब मिन अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी को किसी प्रकार का नुकसान नही हो रहा है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

—::आदेश::—

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 दूसरे पुत्र के साथ रहते है। दूसरे पुत्र को दान पत्र करना चाहते है अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला स्थाई की जावे। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि स्वअर्जित भूमि है कुलदीप ने कुल 18 बीघा भूमि है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र आरटीए 212 के प्रथम दृष्टय मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दूओं पर ही निर्णय किया जाना है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्यायिक दृष्टांतों का समान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना इस लिए उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है अप्रार्थी सं. 1 निर्बाध रूप से रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पाबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2008 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। दिनांक 17.08.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 22/03/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा